न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 62 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 10.05.2018

1. रामा पिता खुराज जाति गुर्जर मृतक के बजाय–
   1. मांगीबाई पत्नि रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. लक्ष्मण पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. शम्भु पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   4. भंवर पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   5. लीला पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   6. कमला पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   7. प्रेम पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. नारायणी पुत्री नन्दा पत्नि प्रभु जाति गुर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम बोलो का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. शंकरी पुत्री नन्दा पत्नि नन्दराम जाति गुर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम सांकडो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. गंगा पुत्री उदा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. रतनलाल पिता लोबा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. भैरूलाल पिता लोबा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. कमली पुत्री लोबा पत्नि श्यामलाल जाति गुर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम गन्धर्भ तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
5. गंगा पुत्री लोबा पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम गन्धर्भ तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
6. मांगी बेवा लोबा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. नाना पिता नारायण जाति गुर्जर – मृतक के बजाय
   1. रतनलाल पिता नाना जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

2. हरिकिशन पिता नाना जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. पुजा पुत्री शम्भुलाल बविलायत मौसी प्रेम बाई पत्नि रतनलाल जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये मैनेजर बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चित्तौड़गढ तहसील व जिला चित्तौडगढ़
9. तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
10. उप–पंजीयक गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 24/2013 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.05.2015

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश चन्द दायमा –रेस्पोडेन्टगण–1
3. महेन्दनाथ योगी– रेस्पोडेन्टगण–2 से 6
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 9 व 10

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 08.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, ,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा सालेरा तहसील गंगरार की साबित बन्दोबस्ती रिकार्ड मे खातेदार श्रीमती धापुबाई निवासी सालेरा के खातेदारी मे कृषि आराजीयात साबिक आराजी नम्बर 193, 194, 217, 256, 305/2, 466, 625/1 कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज रही इसी अनुसार साबिक बन्दोबस्ती रिकार्ड अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादीया के दादा स्वर्गीय कालु वल्द भैरू के नाम खाता सं. 11 मे साबिक आराजी नम्बर 195, 475, कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा गे0मु0 आ0चा0 व अन्य किस्म के रूप मे शामलाती हिस्सा कालु वल्द भैरू खुराज वल्द सुरजमल गुर्जर के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज रेकार्ड है। इसी अनुसार साबिक बन्दोबस्ती रेकार्ड ग्राम सालेरा के खाता सं. 108 मे आराजी नम्बर 478, 479 गैर मुमकिन आ.चा. के रूप मे शामलाती दर्ज रेकार्ड रही। जिसका कुलिया रकबा 19 बिस्वा बनता है। इस खाते वाली भूमि मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के दादा कालु वल्द भेरू खुराज वल्द सूरजमल का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 9 का 1/3 व मौडा वल्द किशना नारायण वल्द हरचंद का संयुक्त 1/3 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान आराजी नम्बर 685, 683, 711, 762, 580, 1032, 686, 1019 कुल किता 8 कुल रकबा 3.37 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 684, 550 किता 2 रकबा 0.65 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

आराजी नम्बर 553, 554 कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर वर्तमान आराजी नम्बर 762 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 8 के गलत रूप से दर्ज कर दी गई है।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर अपीलान्ट सं. 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। व जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट सं. 1 की प्रोपर तामील नही होने से अपीलान्ट सं. 1 को वादपत्र की जानकारी नही थी। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट सं. 1 की प्रोपर तामील हुए बगैर अपीलान्ट सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट सं. 2 व 3 की ओर से विचारण न्यायालय मे जो जवाबदावा प्रस्तुत हुआ उसी जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उक्त तनकियात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की साक्ष्य लिवाई जाकर अपीलान्ट सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण की ओर से दिनांक 04.05.2018 को अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2018 को अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट ने दिनांक 04.05.2018 को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से दिनांक 07.01.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलान्टगण को दिलाई गई। अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से दिनांक 02.02.2022 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण को दिलाई गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 व 9 व 10 की ओर से बहस मे निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जाकर प्रकरण का

विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये योग्य है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व मौखिक बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली का विधिपूर्ण अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 10 के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात मे हक व हिस्से की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे वादिया रेस्पो0 सं. 1 ने वादपत्र की कलम सं. 2 मे पारिवारिक सजरा अंकित कर उक्त सजरे से राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत कर यह प्रमाणित करवाया कि विवादित कृषि आराजीयात वर्तमान मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व अन्य रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 के सहखातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया उदा की पुत्री होकर उदा भैरू का पुत्र है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के दादा स्वर्गीय कालु की रही है। व कालु के स्वर्गवास के पश्चात् कालु का उत्तराधिकारी उदा जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है। व उदा का स्वर्गवास हो जाने से वादिया व धापुबाई वारिस हुई। धापुबाई का स्वर्गवास हो जाने से वादिया रेस्पो0 सं. 1 उदा की एकमात्र वारिस होकर विवादित कृषि आराजीयात मे घोषणा कराये जाने की अधिकारिणी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपने वादपत्र मे अपीलान्टगण की तामील भी करवाई है। उक्त तामील अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। फिर भी अपीलान्ट सं.1 की यह आपत्ति कि उसकी प्रोपर तामील नही हुई जबकि अपीलान्ट सं. 1 की उक्त तामील अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। जिस पर अपीलान्ट सं. 1 स्वंय की अंगूठा निशानी होना अंकित है। जिससे तामील नही होने का तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपने जिम्मे की तनकियात को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित करवाया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श–1 से लगायत 43 से प्रमाणित है। व अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. वादिया स्वंय ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कराये है व स्वतन्त्र गवाह मे पीडब्ल्यू–2 प्यारा पिता रामलाल जाट पीडब्ल्यू–3 शम्भुलाल पिता रामा गुर्जर ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान करवाये है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है। जिससे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया के पक्ष मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 विधि अनुसार होना प्रतीत होता है। अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील मे वर्णित तथ्य संहवनीय नही होने से अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 1 से 3 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 24/2013 निर्णय व डिकी दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 यथावत रखाई जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री पावकदान चारण (आर.ए.एस.)

अपील सं. 62/2018 /डिक्री

① श्री रामा पिता सुरजा गुर्जर मृतक के वजाय :- बनाम

1. मांगीबाई पत्नि रामा गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. लक्ष्मण पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. शम्भु पिता रामा गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. भंवर पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. लीला पिता रामा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

① श्री गंगापुरी उदाजा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

② रतनलाल पिता लोबा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

③ भैरूलाल पिता लोबा जाति गुर्जर निवासी सालेरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

④ कमली पुत्री लोबा पत्नि श्यामलाल जाति गुर्जर नि० सालेरा हाल मुकाम गन्धर्भ तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

⑤ गंगा पुत्री लोबा पत्नि मदनलाल जाति गुर्जर निवासी सालेरा हाल मुकाम गन्धर्भ तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री ......उपखण्ड अधिकारी, गंगरार...... दि. 29-5-2015

प्रकरण सं. ......24/2013...... अन्तर्गत धारा...88, 89, 188...............रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक..08-2-2022... को अपीलान्ट की ओर से

अधिवक्ता श्री दोगालाल जाट - .... रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री दिनेश दाधीच

की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि – अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण । से 3 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 24/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 29-5-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29-5-2015 यथावत रखाई जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि......नि......................रुपये हैं, ...४.............द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे.......नि..........................द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक.08-2-2022.........को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री पावकदान चारण (आर.ए.एस.))

राजस्व अपील प्राधिकारी

चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 08-2-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(2)

6. कमला पिता रामा आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

7. [illegible] पिता रामा आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

(8) [illegible] पुत्री [illegible] पत्नि [illegible] आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़,

(9) [illegible] पुत्री [illegible] पत्नि [illegible] आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

(6) [illegible] आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़,

(7) [illegible] पिता [illegible] आदि पुर्वज [illegible]

1. [illegible] पिता [illegible] आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़,

2. [illegible] पिता [illegible] आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

3. [illegible] पुत्री [illegible] आदि पुर्वज निवासी [illegible] तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

(8) [illegible] तहसील [illegible] जिला चित्तौड़गढ़

(9) तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

(10) उप पंजीयक डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

[illegible]